कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 619 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 किमी हेतु 3.255 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/155324/2022

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/22/2023/एफ0सी0/1055 दिनांक 16–11–2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्र संख्या 2541/12–1 दिनांक 12.06.2024 एवं 405/12–1 दिनांक 23.08.2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी। **तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्न–01)** |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रस्तावक विभाग को सौंपी जायेगी। **तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्न–02)** |
| 3. | **प्रतिपूरक वनीकरण :–**<br>**क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.510 है0 सिविल सोयम भूमि दिऊली खसरा सं0 1667 एवं 1861 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदे"ी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों की अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।<br>**ख)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् | **(क)** शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 6.510 है0 ग्राम दिउली की सिविल सोयम भूमि की खसरा सं0 1667 एवं 1861 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु ₹ 29,21,629.00 धनराशि जमा की गयी है। **(संलग्न–03क)**<br>**(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि को जिलाधिकारी टिहरी ढवाल के आदेश संख्या |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।<br><br>ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | 73/XXVI-92(2023-24) दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तांतरित किया गया है। **(संलग्न–3ख)**<br>उक्त भूमि को अपर सचिव, वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत **''संरक्षित वन''** घोषित करने की अधिसूचना निर्गत की गई है। (प्रति संलग्न)<br><br>**(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि, प्रभाग स्तर से ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अलोड करने की कार्यवाही गतिमान है। |
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं 10 वर्षों के रख–रखाव सहित निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–4)** |
| 5. | **शुद्ध वर्तमान मूल्य :–**<br>**(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.425 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br>**(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | **(क)** शर्त संख्या के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹ 32,71,959.00 दिनांक 30.03.2024 को ऑनलाईन जमा की गयी है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5क)**<br><br>**(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में कोई बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5ख)** |
| 6. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 201 वृक्ष एवं 54 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 201 वृक्ष एवं 54 saplings से अधिक नही होगी, का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्तावक विभाग के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)** |
| 7. | गाईडलाईन में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की | शर्त के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा इस अशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गाईडलाईन में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। | को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। **(संलग्न–7)** |
| 8. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे। | परियोजना के तहत प्रस्तावक विभाग द्वारा धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–8)** |
| 9. | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन किये जाने सम्बनी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–9)** |
| 10. | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम दिउली–गुजराडा की 6.510 है0 भूमि का घनत्व 0.4 से कम है तथा परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व न्यूनतम 0.7 अथवा अधिक सुनिश्चित किया जायेगा। |
| 11. | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगें। | प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित ग्राम दिउली की 6.510 है0 भूमि, वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है, जिसे बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदला जायेगा। |
| 12. | नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगें। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 13. | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)** |
| 14. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)** |
| 15. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)** |
| 16. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)** |
| 17. | संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का 04 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward/Backward bearings अंकित किया जायेगा। **(संलग्न–14)** |
| 18. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)** |
| 19. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)** |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 20. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)** |
| 21. | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)** |
| 22. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)** |
| 23. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)** |
| 24. | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)** |
| 25. | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्न– यथोपरि।**

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)

संख्या– 619 / 12-1 दिनांकित।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)

## शर्त संख्या–01

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

# शर्त संख्या–2

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73/XXVI-92(2023-2024) दिनांक नई टिहरी, 8 जनवरी 2024 के द्वारा अभिलेखों में वन विभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका निरीक्षण राजि0 अधिकारी / अन्य वन विभाग के अधिकारियों को करा दिया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या– 3.(क)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि में वनीकरण हेतु मूल्य रू0 2921629.00 मात्र की धनराशि CAMPA के Clint Code No. CAMP5089 में बैंकर्स चैक संख्या 247356, दिनांक 30.03.2024 के द्वारा जमा करा दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

AGENCY COPY

Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-03-2024

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 61155324962 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/22/2023/FC |
| Address. | E E C D P W D Narendranagar Tehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | eepwdnarendranagar@ymail.com<br>7895715175<br>1378-227229 |
| Amount(in Rs) | 6193588/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount in Words:Sixty-One Lakh Ninety-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Transaction I.D. S B0470656 Dated 08/04/2024

After making successful payment, User Agencies ma

Note:After making the required payment through cha

even after 7 working days ...

Help

| no. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FP/UK/ROAD/155324/2022<br>Construction of Diuli Gijrada Motor Road under State Sector in Vidhansabha Narengra Nagar of District Tehri Garhwal | ROAD1553242022962 | 61155324962 | 16 Nov 2023 | CA: 2921629/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 3271959/-<br>N.A : 0/-<br>N.A : 0/-<br>N.A : 0/-<br>Total : 6193588/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>N.A : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Mar 2024<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan)<br>Challan Generated On : 10 Apr 2024<br>Transaction Date : 08 Apr 2024 | Demand Letter |
| | FP/UK/ROAD/48741/2020<br>Construction of Sansman-Kaudiyala motor road to connect it NH-58 in District Tehri Garhwal | ROAD487412020643 | 6148741643 | 13 Jul 2021 | CA: 908710/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 1035125/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1943835/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Oct 2021<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan)<br>Challan Generated On : 01 Nov 2021<br>Transaction Date : 08 Dec 2021 | Demand Letter |
| | FP/UK/ROAD/9151/2015<br>Construction of Fakot-Semlikatal-Chamelband-Hadisera motor road | ROAD91512015575 | 6191510575 | 09 Oct 2020 | CA: 2855948/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 2782395/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 5638343/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Mar 2021<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 15 Mar 2021<br>Transaction Date : 30 Mar 2021 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/17417/2016<br>Kaudiyala to Gangalsi Motor Road | ROAD174172016037 | 6117417037 | 19 Nov 2018 | CA: 1123850/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 741250/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1865100/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Mar 2019<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 29 Mar 2019<br>Transaction Date : 06 Apr 2019 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/17428/2016<br>Construction of Timli to Khaneti Motor Road | ROAD174282016046 | 6117428046 | 25 Oct 2018 | CA: 2574865/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 3903900/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 6478765/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 27 Feb 2019<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 01 Mar 2019<br>Transaction Date : 12 Mar 2019 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/25189/2017<br>Construction of Amsari to Hadisera Motor Road under State Sector. | ROAD251892017623 | 6125189623 | 29 May 2018 | CA: 721742/-<br>PCA: 0/-<br>Safety Zone: 0/-<br>NPV: 1094275/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Sep 2018<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 26 Sep 2018<br>Transaction Date : 03 Oct 2018 | Demand Letter<br>Generated Challan |

# शर्त संख्या– 3.(ख)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 73/XXVI-92(2023-2024) दिनांक नई टिहरी, 8 जनवरी 2024 के द्वारा अभिलेखों में वन विभाग के नाम कर दिया गया है, एवं हस्तान्तरित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

57/2024

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्याः–8बी/यू0सी0पी0/06/22/2023/एफ0सी0/1055 दिनांकः 16.11.2023 की शर्त संख्याः03(क) के अनुपालन में विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में राज्य योजना अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु 3.255 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यो के दृष्टिगत प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.510हे0 हे0सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्रांक 168/आर.ए–2023 दिनांकः 28.12.2023 के द्वारा तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम दिउली पट्टी धमान्दस्यूं की भूमि प्रस्तावित की गयी है,जिसका विवरण निम्नवत हैः–

| ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा सं0 | अर्जित रक्वा (हे0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| दिउली | धमान्दस्यूं | 08 | 1667म0<br>1861म0 | 3.00हे0<br>3.51हे0 | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ |
| योग | | | | 6.510हे0 | |

प्रस्तावित दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्याः2882/XXIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांकः 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्याः 2365/XXIII(II)/13–18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांकः 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः2173/XXIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांकः17 दिसम्बर 2012 के कम मे उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा–6.510 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड

I/1757/2024

शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार टिहरी तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

Signed by Mayur Dixit
Date: 08-01-2024 16:32:02

(मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।</u>

संख्याः 73 / XXVI-612 (2018-2014) दिनांक नई टिहरी 8 जनवरी , 2024

**प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।**

1:–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2:–सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3:–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
4:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5:–नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6:–प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
7:–अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
8:–उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर।
9:–तहसीलदार नरेन्द्रनगर।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

# संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी

जनपद टिहरी गढ़वाल की विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दिवली से गुजराड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैध्दान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 22 / 2023 / एफ0सी0 / 1055 दिनांक 16 / 11 / 2023 द्वारा प्राप्त है। उक्त सैध्दान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में दोगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु ग्राम दिवली की सिविल सोयम भूमि उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 112 / आर0ए0–2023(विविध) दिनांक नरेन्द्रनगर नवम्बर 30, 2023 प्रति–प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग मुनिकिरेती को सम्बोधित के क्रम में आज दिनांक 05.12.2023 को राजस्व उपनिरीक्षक दिवली, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी, संयुक्त निरीक्षण निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिमानन्द भटट
अमीन
नि0ख0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

गजेन्द्र सिंह (मेट)
नि0ख0 लो0नि0वि0नरेन्द्रनगर।

संजय कठैत
कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।

विनोद रावत
राजस्व उपनिरीक्षक (दिवली)

यशवन्त सिंह चौहान
वन दरोगा

C.S.
Assistant Engineer
Construction Division PWD
Narendra Nagar, T.G.

C.S
RO (NNR)

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर राजि
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

AY
T. NNR

ग्राम दिवली
पटटी धमान्दस्यू
तहसील नरेन्द्रनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्य का नामः– दिवली–गुजराड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वृक्षारोपण कार्य के लिये वन विभाग को दोगुनी सिविल भूमि / सोयम भूमि की आवश्यकता।

| खाता संख्या | नाम भूमिधरी | खसरा नम्बर | कुल रक्वा | अर्जित रक्वा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग–9 3 डं0 | 1667 | 3.824 | 3.00 | उक्त खसरा नम्बरान वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त पाये गये। |
| | –तदैव– | 1861 | 5.155 | 3.51 | |
| | योगः– | 03 नं0 | 8.979 | 6.510 | |

J.E

(अमीन)
नि0ख0लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर

राजस्व उपनिरीक्षक
दिवली
तहसील–नरेन्द्रनगर

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

यशवन्त सिंह
प्रभारी अधिकारी कसमोली
नरेन्द्रनगर

वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर रेंज
नरेन्द्रनगर (टि0ग0)

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

मौजा डिउली पट्टी धनपालपुर तहसील [illegible]

श्रेणी 9 (3-5 कृषि योग्य बंजर भूमि

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | उत्तराखण्ड सरकार | हाल | 1651 | 0940 |
| | श्रेणी 9 (3-5 | बन्दो- | 1658 | 0060 |
| | बंजर * | बस्त | 1665 | 0.252 |
| | | से | 1663 | 3.220 |
| | | | 1680 | 0014 |
| | | | 1684 | 0.002 |
| | | | 1308 | 0.094 |
| | | | 1322 | 0.005 |
| | | | 1834 | 0.103 |
| | | | 1840 | 0.541 |
| | | | 1844 | 0.065 |
| | | | 1861 | 5.155 |
| | | | 1864 | 0940 |
| | | योग | 537 | 83.441 |

असल ठीक नकल

[signature] 30/6 डिउली
तहसील ... 
02

ई0पत्रावली संख्या–50387

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 1124/X-3-24/1(20)/2023

देहरादूनः दिनांकः 14 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 के निर्माण हेतु 3.255 है0 सिविल भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 6.510 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

| क्र0 सं0 | जिला | ग्राम | पट्टी | तहसील | खाता संख्या | खसरा संख्या | चयनित क्षेत्रफल (है0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | टिहरी गढ़वाल | दिउली | धमान्दस्यूं | नेरन्द्रनगर | 08 | 1667म0 | 3.00 | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0 |
| | | | | | | 1861म0 | 3.51 | |
| | | | | | | योगः– | 6.510 | |

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग–2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

| Co-ordinates of Plantation Site | | |
|---|---|---|
| ID | Longitude | Latitude |
| 1 | 78 17 22 95 E | 30 13 13 9 N |
| 2 | 78 17 19 47 E | 30 13 13 6 N |
| 3 | 78 17 17 61 E | 30 13 12 99 N |
| 4 | 78 17 15 71 E | 30 13 11 4 N |
| 5 | 78 17 14 36 E | 30 13 10 18 N |
| 6 | 78 17 15 98 E | 30 13 7 18 N |
| 7 | 78 17 19 4 E | 30 13 3 22 N |
| 8 | 78 17 23 96 E | 30 13 5 35 N |
| 9 | 78 17 23 87 E | 30 13 7 7 N |
| 10 | 78 17 26 62 E | 30 13 9 92 N |

प्रभारी टिहरी आ0का0केर।

प्र0व0सं0/मो0 15-10-25

प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

पंजी0 सं0 1325

पत्रावली 26-1

दिनांक 18-10-24

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव

Signed by Kahkashan Naseem
Date: 14-10-2024 13:42:41

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 1124/X-3-24 Dehradun, dated 14 October 24 for general information.

**Government of Uttarakhand**
**Forest Section- 03**
**File No. 1124/X-3-24/1(20)/2023**
**Dehradun Date- 14 ~~September~~ October, 2024**
**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 6.510 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Tehri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 3.255 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Diyuli-Gujrada Motor Road** in District Tehri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

**Table**

| Sr. No. | District | Village | Patti | Tehseel | Khata Number | Khasara Number | Total area acquired for C.A (in Hectares) | Category of Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Tehri Garhwal | Diyuli | Dhamandsyun | Narendranagar | 08 | 1667m | 3.00 | Uttarakhand Government Category-9(3)d |
| | | | | | | 1861m | 3.51 | |
| | | | | | | Total :- | 6.510 | |

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

**Part- 2 Boundary details**

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

| Co-ordinates of Plantation Site | | |
|---|---|---|
| **ID** | **Longitude** | **Latitude** |
| 1 | 78 17 22 95 E | 30 13 13 9 N |
| 2 | 78 17 19 47 E | 30 13 13 6 N |
| 3 | 78 17 17 61 E | 30 13 12 99 N |
| 4 | 78 17 15 71 E | 30 13 11 4 N |
| 5 | 78 17 14 36 E | 30 13 10 18 N |
| 6 | 78 17 15 98 E | 30 13 7 18 N |

# शर्त संख्या–04

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुज्जराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप हस्तगत की जाने वाली 6.510 हे0 गैर वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं वनीकरण को दस वर्षों तक अनुरक्षित किये जाने वाली धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

## शर्त संख्या–05.(क)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि मूल्य रू0 3271959.00 मात्र CAMPA के Clint Code No. CAMP5089 में बैंकर्स चैक संख्या 247356, दिनांक 30.03.2024 के द्वारा जमा करा दिया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-03-2024

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 61155324962 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/22/2023/FC |
| Address. | E E C D P W D Narendranagar Tehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | eepwdnarendranagar@ymail.com<br>7895715175<br>1378-227229 |
| Amount(in Rs) | 6193588/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount in Words: Sixty-One Lakh Ninety-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Transaction E.D.D S B0470656 Dated, 08/04/2024

**After making successful payment, User Agencies ma**

Note:**After making the required payment through cha**

even after 7 working days...

Help

| no. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FP/UK/ROAD/155324/2022<br>Construction of Diuli Gijrada Motor Road under State Sector in Vidhansabha Narengra Nagar of District Tehri Garhwal | ROAD1553242022962 | 61155324962 | 16 Nov 2023 | CA: 2921629/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 3271959/- ,<br>N.A : 0/-<br>N.A : 0/-<br>N.A : 0/-<br>Total : 6193588/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>N.A : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Mar 2024<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan)<br>Challan Generated On : 10 Apr 2024<br>Transaction Date : 08 Apr 2024 | Demand Letter |
| | FP/UK/ROAD/48741/2020<br>Construction of Sansman-Kaudivala motor road to connect it NH-58 in District Tehri Garhwal | ROAD487412020643 | 6148741643 | 13 Jul 2021 | CA: 906710/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 1035125/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1943835/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Oct 2021<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan)<br>Challan Generated On : 01 Nov 2021<br>Transaction Date : 08 Dec 2021 | Demand Letter |
| | FP/UK/ROAD/9151/2015<br>Construction of Fakot-Semlikatal-Chamelband-Hadisera motor road | ROAD91512015575 | 6191510575 | 09 Oct 2020 | CA: 2855948/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 2782395/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 5638343/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Mar 2021<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 15 Mar 2021<br>Transaction Date : 30 Mar 2021 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/17417/2016<br>Kaudiyala to Gangalsi Motor Road | ROAD174172016037 | 6117417037 | 19 Nov 2018 | CA: 1123850/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 741250/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1865100/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Mar 2019<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 29 Mar 2019<br>Transaction Date : 06 Apr 2019 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/17428/2016<br>Construction of Timli to Khaneti Motor Road | ROAD174282016046 | 6117428046 | 25 Oct 2018 | CA: 2574865/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 3903900/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 6478765/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 27 Feb 2019<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 01 Mar 2019<br>Transaction Date : 12 Mar 2019 | Demand Letter<br>Generated Challan |
| | FP/UK/ROAD/25189/2017<br>Construction of Amsari to Hadisera Motor Road under State Sector. | ROAD251892017623 | 6125189623 | 29 May 2018 | CA: 721742/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 1094275/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Sep 2018<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : Corporation Bank (Challan)<br>Challan Generated On : 26 Sep 2018<br>Transaction Date : 03 Oct 2018 | Demand Letter<br>Generated Challan |

## शर्त संख्या–05.(ख)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के उपरान्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद बढ़ी हो तो उसका वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–06

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले न्यूनतम वृक्षों की संख्या 201 वृक्ष एवं 54 Sapling से अधिक नहीं होगी। वृक्षों के कटान/पातन राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में कटेंगें एवं कटान/पातन की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–07

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा "गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेशों की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायेगी" का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

## शर्त संख्या–08

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में ई0पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–09

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No--- 487/XXVI-ACCII (2021-2022) Dated--15-7-2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali to Gujrara Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in**Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Duali and Gujrara** village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(I)** to annexure **(IX)** the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(b) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: **As above.**

**Signature**
**(Full name and official seal of the District Collector)**
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

FORM-II

**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand     Office of the District Collector

No. 487/XXVI-ALC-II (2021-22)

Dated- 13/7/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of **India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009** wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.255** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Diuali To Gujrara Motor Road** purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Diuali & Gujrara village (s) in **Narendra Nagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.255** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure … to … annexure ….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Diuali & Gujrara villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

**It is further certified that - Minutes of meeting of Constructi to Gujrara Motor Road, Length 4.500Km. regarding FRA is a**

| Sl.No. | | Remark |
|---|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.255 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Disivion Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII) | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA hav been completed and the Gram Sabha have given their consent it. | Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पचायत
43. भैतंण (नरेन्द्र नगर)
जिला-टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

Signature
(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप- 30 ।

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Eva Ashish Srivastava** I.A.S deputy commissioner **Tehri Garhwal** on dated ............ at time ............at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **3.255** hect for the construction of **Diuali to Gujrara Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...............

Dated:.............

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारुप—30.2

परियोजना का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक— दिनाक— 23/04/22

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद **टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य हेतु** (3.255 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.255 हे0 वन भूमि ) का प्रस्ताव **लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23/4/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **युक्ता मिश्र**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— देवेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर —अध्यक्ष
2—श्री एम0एस0 बिष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग —सदस्य
3—श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर —सदस्य/सचिव
4—श्री अनिल भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र गंगलसी —सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोअर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 मोटर में निर्माण कार्य** हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0—58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— नरेन्द्रनगर,जनपद टिहरी गढ़वाल।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 23/04/22 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कार्य हेतु 3.255 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी **नरेन्द्रनगर** की अध्यक्षता मे हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

| कम सं0 | अधिकारी का नाम | पद नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | **देवेन्द्र सिंह नेंगी** | उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर | |
| 2 | **श्री एम0एस0 बिष्ट** | उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती | उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेन्द्रनगर) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग |
| 3 | **श्री राहुल प्रताप सिंह** | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | Rahul |
| 4 | **श्री अनिल भट्ट** | क्षेत्र पंचायत सदस्य दिउली | क्षेत्र पंचायत सदस्य कोडारना वि0 ख0- नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल |

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत आगराखाल–कुशरैला मोटर मार्ग का दिऊली से गुजराड़ा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – दिऊली
तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के **अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य हेतु** ( 3.255 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 3.255 है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **दिऊली** द्वारा दिनांक *23.04.2022* को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ग्राम पंचायत दिऊली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सेवामे

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराडा मोटर मार्ग के अवशेष लम्बाई में निर्माणस कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि दिऊली–गुजराडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग निर्माण हेतु हम अपनी नाप भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जनहित मे यथा शीघ्र किया जाय।

(1) किशन सिंह
(6) [illegible]
(2) गोविन्द सिंह
(7) [illegible]
(3) [illegible]
H.S. Bhandari
(4) [illegible]
[illegible]
भरत सिंह
धर्म सिंह
(5) [illegible]
(6) Y.S. [illegible]

ह0/
समस्त ग्राम वासी

# प्रारुप–30.4

दिनांक 16-12-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत– दिऊली / खर्की

| कमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | वीरेन्द्र सिंह 2 | 3 V.S. Bhandari |
| 1 | नरेश सिलस्वाल | Naresh |
| 2 | रामचन्द्र सिंह | [illegible] |
| 3 | रामचन्द्र भण्डारी | Dayachand |
| 4 | बृजेश भण्डारी | B S [illegible] |
| 5 | मातवर सिंह | matvar singh |
| 6 | जगत सिंह | J S Bhandari |
| 7 | प्यार सिंह | Pyar S |
| 8 | नरेश सिंह | नरेश सिंह |
| 9 | रणवीर सिंह | रणवीर सिंह |
| 10 | धनवीर सिंह भण्डारी | [illegible] |

जिला पंचायत सदस्य

**दयाल सिंह सवंत**
**सदस्य जिला पंचायत**
**43 ... नरेन्द्र नगर**
**टिहरी गढ़वाल**

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कोडारना
वि० ख०--नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत खर्की
ह० ......
दि० ......
ग्राम प्रधान
क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिउली गुजराडा मोटर मार्ग के समरेखण के आस–पास हम बन गुर्जर न तो पहले कभी निवास करते थे और न ही वर्तमान समय में वहां पर हमारा कोई वन गुर्जर परिवार निवास करता है, दिउली गुजराडा मोटर मार्ग बनने से हम वन गुर्जरों का किसी भी प्रकार का हक प्रभावित नही होता है हमें उक्त मोटर मार्ग निर्माण से कोई आपत्ति नही है।

अतः हम सभी गुर्जर परिवार उक्त मोटर मार्ग को जनहित में शीघ्र बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

नाम -

(1) मुहम्मद रफी - ह० मौ रफी

लीयाकत अली

(2) ताहीर -

(3) नूरहसन - नूर हसन

(4) गुलाम रसूल

(5) मेंक बीबी

रमजानो -

दयाल सिंह रावत
स०जि०पंचायत / स०जि०नियोजन [illegible]
43 भैंतण वार्ड, नरेन्द्रनगर ([illegible])

मौ रफी
सचिव
ग्राम वनाधिकार समिति [illegible]
[illegible] सरेला, [illegible]

Seen
[illegible]
27/04/22

# प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 16-12-2021 को ग्राम पंचायत रवर्की की खुली बैठक के प्रस्ताव संख्या -16 की सत्य प्रतिलिपि :-

प्रस्ताव संख्या -16 लोक निर्माण विभाग :- बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि वर्ष 2005 में स्वीकृत दियुली गुजराडा मोटर मार्ग का निर्माण जो समरेखण हुआ है। उस मोटर मार्ग का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव हवनिमद से सर्वसहमति से पारित।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम. रवर्की..........
वि०ख० नरेन्द्रनगर टि० ग०

सेवा में                                                            दिनांक—

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

हम समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दिऊली – गुजराडा मोटर मार्ग लम्बाई 4.500 कि0मी0 जोकि राज्य मार्ग सं0–77 (नरेन्द्रनगर – रानीपोखरी मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से ) जुडजा है, को जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के द्वारा जों सर्वे कार्य किया गया है, उस पर मार्ग बनाने के लिये हमारी ग्राम सभा पूर्ण रूप से सहमत है तथा मार्ग को बनाने के लिये अनुरोध करती है। यदि मार्ग निर्माण हेतु हमारी निजी कृर्षि भूमि की आवश्यकता विभाग को पड़ती है तो हम अपनी भूमि राजकीय दरों पर विभाग को देने के लिये तैयार है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग का निर्माण जन हित मे यथा शीघ्र किया जाय।

ह0/— ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43, (नरेन्द्र नगर)
जिला—टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य
वि0 ख0—नरेन्द्रनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

## शर्त संख्या–10

**परियोजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम–दिउली, पट्टी–धमान्दस्यूं, तहसील–नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल की 6.510 है0 सिविल भूमि का घनत्व 0.40 से कम है तथा परिपक्व वृक्षारोपण में वानस्पतिक घनत्व न्यूनतम 0.70 अथवा अधिक सुनिश्चित किया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी राजि।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

## शर्त संख्या–11

**परियोजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटर मार्ग के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम–दिउली, पट्टी–धमान्दस्यूं, तहसील–नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल की 6.510 है0 सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है, जिसे बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेछानुसार नही बदला जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| वन क्षेत्राधिकारी<br>शिवपुरी राजि। | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>देवप्रयाग उप वन प्रभाग। | प्रभागीय वनाधिकारी<br>नरेन्द्रनगर वन प्रभाग। |

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

# शर्त संख्या–13

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त कर लिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

## शर्त संख्या–14

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन की गयी वनभूमि के समरेखण को केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना संशोधित अथवा बदला नहीं जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–15

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि पर निर्माण के दौरान आस–पास के वन क्षेत्र में मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार के श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेगें।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

## शर्त संख्या–16

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि पर निर्माण के दौरान कार्यस्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुंचे।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–17

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि का चार फिट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर फारवर्ड एवं बैक बियरिंग अंकित किया जायेगा। यह कार्य राज्य वनविभाग द्वारा किया जाना है एवं कार्य पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

# शर्त संख्या–18

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित, की गयी वनभूमि पर निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–19

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी है। वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

# शर्त संख्या–20

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–21

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश की फाईल संख्या–11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–22

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी जो लोक निर्माण विभाग को मान्य होंगी।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |

## शर्त संख्या–23

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवार बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों के कटाई की अनुमति नहीं होगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

# शर्त संख्या–24

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि में निर्माण कार्य के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर, टि0ग0

## शर्त संख्या–25

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिउली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.50 कि0मी0 हेतु 3.255 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर भी अपलोड गयी है।

| | | |
|---|---|---|
| अपर सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | सहायक अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 | अधिशासी अभियन्ता,<br>निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,<br>नरेन्द्रनगर, टि0ग0 |